

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/45
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00044
CICOM/R/2015/01247

दिनांक: 02.05.2016

अपीलकर्ता : श्री विजय कुमार गर्ग,
एफ-49, विशाल कालोनी,
नांगलोई, दिल्ली -41.

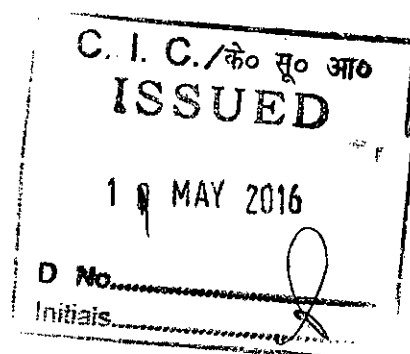
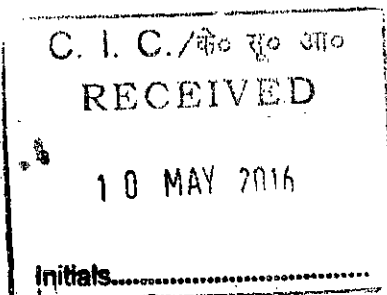
निर्णय की तारीख : 02.05.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	18.12.2015
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	31.12.2015
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री उमेश चन्द्र जोशी
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	21.01.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	107922/21.01.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	32/22.01.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/SA/A/2014/000866 व CIC/SA/A/2014/000857 की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने के संबंध में 3 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री उमेश चन्द्र जोशी, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री उमेश चन्द्र जोशी, जन सूचना अधिकारी द्वारा बिंदु सं. 2 के तहत प्रदान की गई सूचना में उल्लेख किया गया है कि "आयोग में फाइलों का निरीक्षण कराने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है" जबकि आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 में अपीलकर्ता ने निरीक्षण शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है, अतः संबंधित जन सूचना अधिकारी, श्री बाबू लाल, उप-पंजीयक को निर्देश दिया जाता है कि कृपया इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के अंदर अपीलकर्ता को स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाई जाए। बिंदु सं. 2 व 3 के तहत प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा अधोहस्ताक्षरी इससे पूर्णतः सहमत हैं। अपीलकर्ता ने द्वितीय अपील सं. CIC/SA/A/2014/000866 व CIC/SA/A/2014/000857 की प्रतिलिपि तथा आवेदन से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विवरण की मांगी की थी। जिसके प्रतिउत्तर में श्री उमेश चन्द्र जोशी, जन सूचना अधिकारी ने अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध करवा दिया है तथा द्वितीय अपील फाइलों की प्रतियों उपलब्ध करवाने के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए, प्रतियों उपलब्ध करवाने में असमर्थता जताई है।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।



---2/-

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।

अधोहस्ताक्षरी के पास कार्य की अधिकता व हिंदी टंकण जानने वाले कार्मिक की अनुपलब्धता के कारण प्रथम अपील के निपटान में हुई देरी के लिए खेद है।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. श्री बाबू लाल, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.ए. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।